मध्यप्रदेश शासन

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 27/11/2019

क्र. एफ 16-11/2019/ए-ग्यारह:: मेसर्स रामकृष्ण साल्वेक्स, रतलाम द्वारा प्रवेश कर से छूट हेतु आवेदन पर राज्य स्तरीय साधिकार समिति की बैठक दिनांक 14/09/2017 में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया था। राज्य स्तरीय साधिकार समिति के निर्णय अनुसार कंपनी का आवेदन अमान्य किये जाने के संबंध में MPIDC (पूर्व नाम म.प्र. ट्रायफेक) द्वारा दिनांक 10/10/2017 को सूचित किया। जिसके विरूद्ध इकाई/कंपनी द्वारा पुनः अपील/संशोधन आवेदन प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण के संबंध में मुख्य तथ्य निम्नानुसार है:-

1. इकाई का प्रकरण पूर्व में भी निर्णय हेतु सक्षम समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया था किन्तु मेसर्स मार्वल एग्रेक्स लि., मेसर्स अम्बिका सॉल्वेक्स एवं मेसर्स रामकृष्ण साल्वेक्स का विषयांकित इकाई को लेकर आपस में सम्पत्ति विवाद होने के कारण प्रकरण का निराकरण नही किया जा सका। मेसर्स मार्वेल एग्रेक्स लि. के द्वारा मेसर्स रामकृष्ण सॉल्वेक्स प्रा. लि. को स्वीकृत विशेष पैकेज दिनांक 25/08/2011 को निरस्त करने हेतु माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका क्रमांक 7081/2012 प्रस्तुत की गई है जो निर्णय हेतु लंबित है।
2. माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ इन्दौर में दायर याचिका क्रमांक 8588/2014 में भी मेसर्स मार्वल एग्रेक्स लि., Intervener (हस्तक्षेपकर्ता) के रूप में शामिल था एवं पूर्व में समिति की बैठकों में मेसर्स मार्वल एग्रेक्स लि., द्वारा मेसर्स रामकृष्णा साल्वेक्स प्रा.लि., को स्वीकृत की जा रही सुविधाओं को निरस्त करने हेतु अपील की जाती रही है।
3. प्रवेशकर छूट हेतु वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्रमांक (21) दिनांक 04.04.2005 अनुसार प्रवेशकर छूट सुविधा हेतु व्यापारी को वाणिज्यिक कर विभाग में रजिस्ट्रीकृत होना चाहिये एवं व्यापारी को छूट की कालावधि के दौरान एवं कालावधि के अवसान की तारीख से 05 वर्ष की कालावधि के लिये कार्यरत रहना होगा। महाप्रबंधक, औद्योगिक केन्द्र विकास निगम लि., उज्जैन का प्रतिवेदन दिनांक 24.08.2017 अनुसार इकाई दिनांक 30.06.2014 से बंद है। वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा उनके प्रतिवेदन में अवगत कराया है कि इकाई का पंजीयन दिनांक 20.09.2016 से निरस्त कर दिया गया है एवं इकाई में उत्पादन पूर्णतः बंद है। यद्यपि अपीलय अधिकारी द्वारा दिनांक 10/05/2019 को पंजीयन को पुर्नजीवित मान्य किया गया है।
4. उद्योग निवेश संवर्धन सहायता योजना-2004 की कंडिका क्रमांक 8.18 अनुसार - "मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर अधिनियम 1994, मध्यप्रदेश मूल्य संवर्धन कर अधिनियम 2002 अथवा केन्द्रीय विक्रयकर अधिनियम 1956 के अधीन वाणिज्यिक कर विभाग के वाणिज्यिक/वैट कर अथवा केन्द्रीय विक्रयकर भुगतान की देयता के संबंध में डिफाल्टर होने की स्थिति में इकाई का प्रकरण विचारित नहीं किया जायेगा।" कंडिका क्रमांक 7.5 अनुसार- "औद्योगिक इकाई होकर पंजीकृत व्यापारी हो" एवं कंडिका क्रमांक 8.20 अनुसार - "इकाई द्वारा सहायता राशि हेतु आवेदन प्रस्तुत किये जाने के दिनांक को इकाई का कार्यरत रहना अनिवार्य होगा एवं इकाई को सहायता अवधि तथा इसके पश्चात् आगामी 5 वर्षों तक चालू रखा जाना अनिवार्य होगा। इस अवधि में इकाई के 6 माह से अधिक अवधि तक बंद होने की स्थिति में इकाई को दी गई संपूर्ण सहायता राशि भू-राजस्व की बकाया वसूली की तरह इकाई से वसूल की जावेगी ।

निरंतर .....

5. वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्तजावरा के संभागीय उपायुक्त-, वाणिज्यिक कर रतलाम को प्रेषित पत्र दिनांक 01.11.2018 अनुसार इकाई पर प्रवेशकर एवं वैट के विरूद्ध वर्ष 2007-08 से वर्ष 2014-15 की अवधि में कुल राशि रूपये 07,87,82,712/- (सात करोड सत्यासी लाख ब्यासी हजार सात सौ बारह रूपये) बकाया है

2/ समस्त तथ्यों पर विचारोपरांत राज्य शासन एतद् द्वारा निर्णय लिया गया कि इकाई वर्ष 2014 से लगातार बंद है एवं इकाई वाणिज्यिक कर विभाग की डिफाल्टर है। अतः वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्रमांक (21) दिनांक 04/04/2005 एवं उद्योग संवर्धन सहायता योजना 2004 की कंडिका क्रमांक 8.18 एवं 8.20 के परिप्रेक्ष्य में इकाई को प्रवेश कर छूट सुविधा एवं उद्योग संवर्धन सहायता की पात्रता नही है। अतएव इकाई का आवेदन अमान्य किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार

(डॉ. राजेश राजौरा)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

पृ.क्र. एफ 16-11/2019/ए-ग्यारह

भोपाल, दिनांक 27 /11/2019

प्रतिलिपि,

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव (समन्वय), मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
3. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय बल्लभ भवन, भोपाल।
4. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग, मंत्रालय बल्लभ भवन, भोपाल।
5. आयुक्त, वाणिज्यिक कर इन्दौर।
6. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि. भोपाल।
7. आथोराइज्ड सिग्नेटरी, मेसर्स रामकृष्ण साल्वेक्स प्रा. लि., ग्राम-चामलाखेडी, महिदपुर रोड,आरोट, जिला रतलाम।

- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग